



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1075]

नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 19, 2017/चैत्र 29, 1939

No. 1075]

NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 19, 2017/CHAITRA 29, 1939

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 अप्रैल, 2017

का.आ. 1216(अ).—केन्द्रीय सरकार, भूसंपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 (2016 का 16) की धारा 1 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 1 मई, 2017 को उस तारीख के रूप में नियत करती है जिसको उक्त अधिनियम के निम्नलिखित उपबंध प्रवृत्त होंगे, अर्थात्:—

क्रम सं. धारा

1. धारा 3 से धारा 19
2. धारा 40
3. धारा 59 से धारा 70
4. धारा 79 से धारा 80

[फा. सं. ओ-17034/275/2017-एच]

राजीव रंजन मिश्रा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOUSING AND URBAN POVERTY ALLEVIATION

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th April, 2017

S.O. 1216(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 1 of the Real Estate (Regulation and Development) Act, 2016 (16 of 2016), the Central Government hereby appoints the 1st day of May, 2017 as the date on which the following provisions of the said Act shall come into force, namely:—

Sl. No. Section

1. Section 3 to 19
2. Section 40
3. Section 59 to 70
4. Section 79 to 80

[F. No. O-17034/275/2017-H]

RAJIV RANJAN MISHRA, Jt. Secy.